

डिक्री बमुकदमें ईत्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-363/2019

सुशील कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।
वादी

बनाम्

1.औमप्रकाश पुत्र गणपतराम } जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला
2.संतरो पत्नी औमप्रकाश } हनुमानगढ।

3.पुष्पा पुत्री औमप्रकाश पत्नी अजय कुमार जाति जाट निवासी वार्डनं0 05, चक 6
बीजीपीए तहसील व जिला हनुमानगढ।
प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल
कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री
करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री
दी जाती है कि प्रतिवादी औमप्रकाश के नाम से दर्ज आराजी में से चकनं0 1
एनजीआर के प0न0 188/218 मु0 57 किलानं0 13,14, 16/1/.228, 16/2/.025
खाला, 17,18,23,24 प0न0 188/219 मु0 62 किलानं0 3,4,8 का वादी सुशील कुमार
को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चकनं0 1 एनजीआर के खाता सं0
9/9 मे से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी
अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति
रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29/11/19.....को जारी
किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी